



संदर्भसं.राबें.पुनर्वित्त /2428-2430/केसीसी-1/2019-20

09 जनवरी 2020

परिपत्र सं. 12 / पुनर्वित्त - 04 /2020

मुख्य कार्यकारी अधिकारी The CEO/प्रबंध निदेशक Managing Director,
सभी राज्य सहकारी बैंक All State Cooperative Banks
सभी जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक All District Central Co-operative Banks

अध्यक्ष The Chairman,
सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक All Regional Rural Banks

प्रिय महोदय

एन्श्योर के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की प्रस्तुति - केसीसी की मासिक स्थिति

Submission of KCC data using ENSURE- Monthly Position of KCC

उपर्युक्त विषय पर कृपया 14 मई 2018 का हमारा परिपत्र सं. 97/ पुनर्वित्त-31/2018-19 और 16 अगस्त 2019 का हमारा परिपत्र सं. 251/ पुनर्वित्त-69/2019 देखें जिसमें माह के समाप्ति के बाद बैंकों को अगले माह की 15 तारीख तक एन्श्योर पोर्टल में केसीसी योजना के कार्यान्वयन में प्रगति की जानकारी प्रस्तुत करने की सूचना दी गई है.

2. चूंकि एन्श्योर पोर्टल के माध्यम से बैंकों द्वारा जानकारी की प्रस्तुति में काफी स्थिरता आई है अतः इस पोर्टल पर केसीसी विवरणी की प्रस्तुति की तिथि में

Please refer to our circulars No. 97/DoR-31/2018-19 dated 14 May 2018 and 251/DoR-69/2019 dated 16 August 2019 on the captioned subject, advising Banks to upload the progress in implementation of KCC schemes in the ENSURE portal by 15th of the month succeeding the reporting month.

2. As the position of reporting by Banks on the ENSURE Portal has more or less stabilized, it has been decided to revise the due date for

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

National Bank for Agriculture and Rural Development

पुनर्वित्त विभाग


प्लॉट नं. सी-24, जी ब्लॉक, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. • टेलि : 022 2652 4926 • फैक्स : 022 2653 0090 • ई-मेल : dor@nabard.org

Department of Refinance

Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051. • Tel. 022 2652 4926 • Fax : 022 2653 0090 • E-mail : cvc@nabard.org

<p>संशोधन करने का निर्णय किया गया है और अब यह जानकारी आगामी माह के 10 तारीख तक प्रस्तुत करनी होगी. इससे हम यह जानकारी संकलित कर भारत सरकार को प्रत्येक माह की 15 तारीख तक प्रस्तुत कर पाएंगे ताकि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय समयबद्ध रूप से केसीसी जारी करने की प्रगति की समीक्षा कर सकेगा.</p> <p>3. भारत सरकार द्वारा निर्धारित जानकारी की प्रस्तुति की आवश्यकताओं को देखते हुए बैंकों से आग्रह है कि वे निर्धारित तिथि तक संबंधित महीने की केसीसी प्रगति की सही जानकारी दर्शाएं. बैंकों से त्रुटि रहित जानकारी की प्रस्तुति सुनिश्चित करने का भी अनुरोध है.</p> <p>4. तीन स्तरीय संरचना में राज्य सहकारी बैंक उनसे संबद्ध जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों द्वारा समय पर और सटीक जानकारी की प्रस्तुति सुनिश्चित करें.</p>	<p>submission of KCC returns on the portal to 10th of the succeeding month. This will enable us to report the consolidated progress report to the Govt. of India by 15th of the month to enable review under KCC saturation drive initiated by Ministry of Agriculture & Farmers' Welfare on a time bound manner.</p> <p>3. Taking into account the reporting requirements prescribed by Govt. of India, Banks are requested to adhere to the due dates so that the progress for the respective month is correctly reflected. Banks are also requested to ensure that the KCC data being reported is free of errors.</p> <p>4. State Cooperative Banks in the three tier structure may also play the role of supervising timely and correct reporting by the DCCBs affiliated to them.</p>
---	--

भवदीय



(आर महाजन)

मुख्य महाप्रबंधक